Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री भूपसिंह विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री मनीष पाण्डया, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 16.4.18

हस्तगत निगरानी धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, गंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4—6—2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 6 केएएम के मुरब्बा नंबर 141 / 38 के किला नंबर 1 ता 5 की 5 बीघा एवं किला नंबर 9 व 10 की 2 बीधा कुल 7 बीघा कमाण्ड भूमि एवं किला नंबर 6 ता 8 व 11 ता 25 की कुल 18.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि का प्रार्थीगण को उप आयुक्त उपनिवेशन, सूरतगढ द्वारा दिनांक 2—5—82 पुख्ता आवंटन किया गया ।जिसका प्रार्थीगण को कब्जा दिनांक 12—8—82 को मोके पर मौतबिरान के समक्ष दिया गया । प्रार्थीगण उक्त भूमि पर उसी दिनांक से कब्जा काश्त में चले आ रहे हे। प्रार्थीगण ने विवादित भूमि की कुल आवंटन राशि मय ब्याज जमा करवा दी है जिसके आधार पर प्रार्थीगण को 24—2—96 को खातेदारी सनद सख्या 74332 जिला कलेक्टर, गंगानगर द्वारा जारी की गई । विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 45 प्रार्थीगण के नाम दिनांक 11—3—94 को गैर खातेदारी के रूप में दर्ज कर दिनांक 14—5—94 को तहसीलदार, अनपूगढ द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्वीकृत किया गया । सनद जारी करने के बाद यह भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज हो चुकी है । अप्रार्थी संख्या 1 ईकबालसिंह ने एक अपील प्रार्थीगण के आवंटन आदेश दिनांक 12–5–82 के विरूद्व दिनांक 24–8–98 को प्रस्तुत की कि चक 6 केएएम के मुरब्बा नंबर 141 / 38 के किला नंबर 1 ता 5 की 5 बीघा एवं किला नंबर 9 व 10 की 2 बीधा कुल 7 बीघा कमाण्ड भूमि एवं किला नंबर 6 ता 8 व 11 ता 25 की कुल 18.00 बीघा अनकमाण्ड भूमि दिनांक 28–11–75 को आवंटित हुई थी परन्तु अप्राार्थी ने राजस्व अपील प्रधिकारी के समक्ष इस तथ्य को छिपा लिया कि उसका दिनांक 28–11–75 का आवंटन उपायुक्त उपनिवेशन, सूरतगढ द्वारा दिनांक 22–2–78 खारिज कर दिया गया । उसके बाद प्रार्थीगण को यह रकबा पुख्ता आवंटन किया गया । अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व कोई अपील नहीं की और वह खारिज आदेश आज भी कायम है । इस तथ्य को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष छिपाया गया है तथा प्रार्थीगण गलत पता ग्राम मान्जुवास, तहसील पदमपुर जिला गंगानगर का देकरकेवल प्रार्थिया शांति पत्नि भीखा के नाम एक तलब सम्मन दिनांक 18–5–99 को वास्ते अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 22–7–99 को उपस्थित होने के लिए ग्राम मान्जूवास के पते पर जारी किया गया जिस पर ईकबालसिंह के हस्ताक्षर है और यह गलत पते पर जारी करवाने के लिए सम्मन दस्ती दिया गया है और केवल पोस्ट आफिस की रसीद प्रस्तुत की गई जो राजस्व अपील प्राधिकारी के फर्द अहकाम दिनांक 18–5–99 एवं 27–7–99 से स्पष्ट है । दिनांक 27–7–99 को प्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अपील की सुनवाई की गई परन्तु अप्रार्थी ईकबाल सिंह व प्रार्थीगण के आवंटन की पत्रावली मंगवाने के लिए कई बार लिखा गया परन्तु ऐसा कहीं किसी भी आर्डरशीट में नहीं लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय की आवंटन पत्रावली किस कारण से उपलब्ध नहीं हो रही है । प्रार्थीगण के आवंटन के बाद विवादग्रस्त मुरब्बा नंबर 14 / 38 वाके चक 6 केएएम को गलती से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14–10–88 के नोटिफिकेशन द्वारा विशेष आवंटन में प्रकाशित कर रकबा को नोटिफाई कर दिया और प्रार्थीगण के पक्ष में जारी सनद को निरस्त कर दिया । प्रार्थीगण द्वारा जिला कलेक्टर को प्रार्थना–पत्र बाबत रकबा को गजट से डिनोटिफाई करने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसको जिला कलेक्टर, गंगानगर ने दिनांक 3–12–99 को शासन उप सचिव उपनिवेशन विभाग राजस्थान जयपुर को एक पत्र द्वारा रकबे को डिनोटिफाई करने के लिए लिखा गया । जिसके आधार पर राज्यपाल की आज्ञा से दिनांक 22–7–2000 को विवादग्रस्त रकबा 6 केएएम के मुरब्बा नंबर 141 / 38 को विशेष आवंटन से मुक्त कर डिनोटिफाई कर दिया जिसके आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में सनद बहाल हो चुकी है । इस तथ्य को छिपाकर निगरानीधीन निर्णय करवाया है, जो विधिविरूद्व है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 4–6–2003 द्वारा प्रार्थीगण का आवंटन निरस्त कर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी,अनूपगढ को रिमाण्ड कर दिया । उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अप्रार्थी ईकबालसिंह का आवंटन आदेश 28–11–75 उपायुक्त उपनिवेशन सूरतगढ द्वारा दिनांक 22–2–78 को खारिज कर दिया गया था जिसके विरूद्व अप्रार्थी ने कोई अपील नहीं की अप्रार्थी के नाम आवंटन आदेश की खारिज की बात को अप्रार्थी ईकबालसिंह ने छिपाया है और प्रार्थीगण का स्थाई पता गलत देकर अपील का निर्णय करवाया है प्रार्थीगण को विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 12–5–82 को करने के बाद भूमि का कब्जा दिनांक 12–8–82 को दे दिया गया और नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 11–3–94 को यह रकबा प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होकर दिनांक 14–5–94 को नामान्तरकरण स्वीकार किया गया किश्तें भी जमा कराने के बाद सनद भी जारी हो चुंकी है । अप्रार्थी इकबालसिंह द्वारा प्रार्थीगण के आवंटन आदेश दिनांक 12–5–82	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को विरूद्व दिनांक 24–8–98 को करीब 16 साल बाद अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसको बिना किसी कारण के अप्रार्थी के मियाद प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अपील पेश करने की देरी को बिना किसी कारण के माफ करते हुए अपील को एकतरफा तौर पर सुनवाई कर निगरानीधीन आदेश पारित किया है । 16वर्ष की देरी को कन्डोन किया गया है जिसके आधार पर निगरानी स्वीकार योग्य है । राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 4–6–03 में यह माना है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बार बार तलब करने पर भी प्राप्त नहीं हुई है इसलिए अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत सेल रजिस्टर का अवलोकन किया जिससे अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि का आवंटन रेस्पोडेण्ट को दिनांक 12–5–82 को किया गया एवं इसमें डबल आवंटन का नोट अंकित है । रेस्पोडेण्ट के पक्ष में जारी सनद संख्या 74332 दिनांक 24–6–96 को जिला कलेक्टर गंगानगर द्वारा दिनांक 9–10–96 को निरस्त करने का नोट अंकित है इससे यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट का आवंटन निरस्त किए बिना ही रेस्पोडेण्ट को आवंटन किया गया होगा आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं होने से अपीलाण्ट द्वारा सेल रजिस्टर की प्रति प्रस्तुंत की है । इसलिए अपीलाण्ट का आवंटन बहाल रहते हुए रेस्पोडेण्ट को आवंटन करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है । इसके अलावा रेस्पोडेण्ट ने उपस्थित होकर अपने आवंटन के बाबत किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत किया नहीं किया एवं न ही ऐसा तर्क किया कि उनका कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अपीलाण्ट का आवंटन पूर्व में निरस्त होने के पश्चात ही रेस्पोडेण्ट को आवंटन किया गया था । इसलिए इस प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा अपेक्षित जांच कर निर्णय देने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित है ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर अपनी बहस में बताया कि आवंटन आदेश किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया था जिस पर अपीलीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24–6–82 के द्वारा बकाया किश्तें मय ब्याज जुर्माना रकम राज चालान जमा करवाने पर आवंटन आदेश पुनः बहाल करने के आदेश पारित कर दिए जिस पर सम्पूर्ण राशि रकम राज जमा करवा दी है जिस पर उक्त आवंटन को बहाल करते हुए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किए । उक्त आवंटन आदेश पुनः प्रार्थी के नाम बहाल होने पर भी राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं हो सकता चूंकि रकबा अन्य व्यक्ति भीखा राम को दिनांक 2–5–82 को आवंटन होकर उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था आजकी तारीख में उक्त रकबा अप्रार्थी / निगरानीकर्ता के पास चला आ रहा है । रकबा डबल अलोटमेंट का है अप्रार्थीगण के पास कब्जा नहीं होने से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थी उक्त रकबा को निगरानी कर्ता की इस शर्त पर छोडने के लिए रजामंद है कि यदि अप्रार्थी ईकबालसिंह को उक्त आवंटन रकबे के बदले में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में बिना विवादित बिना स्थगन बिना आरक्षित रकबा, शुद्ध रकबा राज ईकबाल सिंह के आवेदन प्रार्थना–पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर 6 माह की अवधि में आवंटन किया जावे । इसी अनुसार निगरानी का निस्तारण कर दिया जावे तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही है क्योंकि सरकार का भी भूमिहीन काश्तकारों को भूमि आवंटन करने का यही उद्देश्य रहता है । अतः प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 5 के अनुसार आदेश प्रदान करें । अप्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि प्रकरण डबल आवंटन का है । अप्रार्थी को हुए आवंटन को खारिज करे बिना प्रार्थी को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस भूमि का आवंटन कर दिया प्रकरण में कब्जा काश्त प्रार्थी का ही है । मुकदमेंबाजी चलते हुए काफी अरसा बीत चुका है । अप्रार्थी के द्वारा किश्तें भी जमा करवाई गई हैं कब्जा काश्त प्रार्थी शांतिदेवी का है जिसे अप्रार्थी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र में स्वीकार कर अन्य वैकल्पिक भूमि दे दी जावे । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि उन्हें दिनांक 12–5–82 को आवंटन किया था । आवंटन होने के बाद किश्तें जमा करवा दी गई है जमा करवाने वाले दिन सनद ले ली गई थी । फिर भी उनका आवंटन खारिज किया है वह गलत है । जब उनके द्वारा राशि जमा करवाने के बाद उनके पक्ष में सनद जारी हो गई है एवं अप्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में अभी तक नाम नहीं आया है। यदि उन्हें इस भूमि पर कोई अधिकार बनते हैं तो पहले प्रार्थी को किए गए आवंटन को निरस्त करवाना चाहिए। राज्य सरकार यदि अप्रार्थी को भूमि देती है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में कब्जा हमारा ही है । अतः निगरानी स्वीकार की जावे । हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि जहां तक धारा 151 सीपीसी में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का प्रश्न है और उसमें अप्रार्थी के द्वारा यह चाहा गया है कि उसे आवंटित रकबे के बदले इन्दिरा गांधीन नहर परियोजना के बाद बिना स्थगन आदेश दिए बिना रकबा साबित किए आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की 6 माह की अवधि में आवंटन करने पर निगरानी का निस्तारण किए जाने में अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर प्रस्तुत किया गया है । केवल इस	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्तर पर यह देखना है कि राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश सही है अथवा नहीं । राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रार्थी को किए गए आवंटन को निरस्त करते हुए प्रकरण को रिमाण्ड किया हे जब कि उनके द्वारा राशि जमा कराकर सनद भी प्राप्त की जा चुकी है । राजस्व अपील प्राधिकारी को यह आदेश पारित करने से पूर्व समस्त रेकार्ड का अवलोकन करके निर्णय दिया जाना चाहिए । केवल मात्र सेल रजिस्टर को देखने से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहूॅचा जा सकता है । राजस्व अपील प्राधिकारी का केवल यह निष्कर्ष निकाला जाने तक आवंटन को निरस्त किए बिना ही रेस्पोडेण्ट को आवंटन किया गया होगा जिससे आवंटन बहाल रहते हुए रेस्पोडेण्ट को किया गया न्यायोचित एवं विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है । अतःराजस्व अपील प्राधिकारी को दोनों पक्षों को सुनकर के किसी निष्कर्ष पह पहूॅचना था तथा उसे समस्त रिकार्ड अवलोकन करना चाहिए था । जब अप्रार्थी के द्वारा समय पर राशि जमा नहीं करवाई गई तो राज्य सरकार के द्वारा इस भूमि का आवंटन प्रार्थी को कर दिया गया । इसी दौरान अप्रार्थी के द्वारा राशि जमा कराने पर उसके आवंटन को बहाल किया गया किन्तु इससे पूर्व को आवंटन को निरस्त नही किया गया जब कि आवंटन को बहाल करने से पूर्व दोनों पक्षों को से सुनकर के निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । चूंकि प्रार्थी के द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है कब्जा भी ले लिया गया है और सनद भी जारी करवाई जा चुकी है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवंटन को निरस्त किया जाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है । अतःराजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 4–6–03 को निरस्त करते हुए प्रकरण मे आवंटन को बहाल रखा जाता है । जहां तक अप्रार्थी के 151 सीसपीसी के प्रार्थना–पत्र का प्रश्न है तो इस निगरानी में इस तरह के कोई सुसंगत आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं । यदि जमा राशि के संबंध में कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / कोलो. / 3843 / 2004 / गंगानगर शांतिदेवी बनाम इकबालसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुतोष लिया जाना है तो वे अपना अभ्यावेदन आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर ले सकते हैं । धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र पर ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 4–6–03 को निरस्त करते हुए प्रार्थी के आवंटन को बहाल रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य